रजिस्टर्ड नं0 पी0/एस0 एम0 14

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 9 नवम्बर, 1983/18 कार्तिक, 1905

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 अक्तूबर, 1983

संख्या जी0ए0डी0-ए0(एफ0) 4-34/83.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ मशवरा करके, हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण निदेशालय के कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी, प्रथम श्रेणी (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम इस अधिसूचना के परिशिष्ट-I के अनुसार सहर्ष बताते हैं।

यह नियम इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

आदेशानुसार,
महाराज कृष्ण काव,
आयुक्त एवं सचिव।

परिशिष्ट-I

निदेशक, सैनिक कल्याण, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी, प्रथम श्रेणी (राजपत्रित) के पद के भर्ती एवं पदोन्नति नियम:—

1.	पद का नाम	विशेष कार्य अधिकारी।
2.	पदों की संख्या	एक।
3.	वेतनमान	रुपये 1250-50-1400/60-1700/75-2000.
4.	वर्गीकरण	प्रथम श्रेणी (राजपत्रित)।
5.	क्या प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण पद	प्रवरण।
6.	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु	प्रयोजय नहीं।
7.	सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं।	प्रयोज्य नहीं।
8.	क्या पदोन्नत होने वाले व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रयोज्य होंगी।	प्रयोज्य नहीं।
9.	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष तथा ऐसी अवधि जो कि एक वर्ष से अधिक न हो, के लिए आगामी विस्तार के अध्याधीन जैसे कि विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण रिकार्ड कर के आदिष्ट की जाए।
10.	भर्ती का ढंग, क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण तथा विभिन्न ढंग द्वारा रिक्त स्थानों को भरने की प्रतिशतता।	शतप्रतिशत पदोन्नति द्वारा।
11.	पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती किए जाने की अवस्था में वह वेतनक्रम जिनमें से पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है।	"जिला सैनिक कल्याण अधिकारी वेतनमान, रुपये 940—1850, जो इस पद पर नियमित या अनियमित एवं तदर्थ दोनों मिला कर पांच वर्ष तक का सेवा काल रखते हों, में से पदोन्नति द्वारा।"
12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसकी संरचना।	जैसे कि सरकार द्वारा समय-समय पर बनाई जाए।
13.	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना हो।	जैसा कि नियमानुसार अपेक्षित हो।
14.	छूट प्रतिनियम।	जहां पर सरकार ऐसा करना अनिवार्य अथवा युक्तिसंगत समझे, वह लोक सेवा आयोग के परामर्श से लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके व्यक्तियों अथवा पद की किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के सम्बन्ध में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में छूट देने का आदेश कर सकती है।

पाद टिप्पणियां

किसी सेवा या पद के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार निम्नलिखित हो:—

(क) भारत का नागरिक, या
(ख) नेपाल की प्रजा, या
(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) तिब्बती विस्थापित जो प्रथम जनवरी, 1962 से पूर्व, भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से आया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकीय देश, कीन्यां, यूगांडा, संयुक्त गणतन्त्र तन्जानिया (इससे पूर्व टांगानीका और जैंजीबार) जाम्बिया, मालवी, जेर तथा इथोपिया से भारत वर्ष में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से आया हो :

उपबन्धित है कि वर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) से सम्बन्धित वही प्रत्याशी माना जायेगा जिसके पक्ष में भारत सरकार/राज्य सरकार ने पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया हो।

प्रत्याशी जिसके बारे में पात्रता का प्रमाण-पत्र अनिवार्य हो को भी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा आयोजित साक्षात्कार या परीक्षा में बैठने की आज्ञा दी जा सकती है, परन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव तभी दिया जाए जब कि भारत सरकार/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उसे पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो ।

2. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में उतनी छूट देय है जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य तथा विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत अनुमत है ।

3. सीधी भर्ती की अवस्था में अन्यथा विशिष्ट योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आयु तथा अनुभव से सम्बन्धित छूट आयोग के विवेकानुसार देय होगी ।

4. जब कभी खाना 2 के अधीन पदों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी की गई हो तो हिमाचल प्रदेश आयोग के परामर्श से खाना संख्या 10 और 11 के उपबन्ध सरकार द्वारा संशोधित किए जायेंगे ।

5. सीधी भर्ती की स्थिति में नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर या यदि आयोग ऐसा आवश्यक अथवा उचित समझे तो लिखित परीक्षा द्वारा, जिसका स्तर, पाठ्यक्रम इत्यादि आयोग द्वारा निर्धारित होगा अथवा व्यवहारिक परीक्षा द्वारा किया जायेगा ।

6. ऐसे सभी मामलों में जबकि कोई कनिष्ठ व्यक्ति फीडर पद पर अपनी कुल सेवा अवधि (तदर्थ सेवा सहित) के आधार पर (पदोन्नति) आदि के लिए विचार हेतु पात्र हो तो सम्बन्द्ध वर्ग में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति ऐसे विचार हेतु पात्र होंग तथा इस क्षत्र म विचारित किए जाने वाले कनिष्ठ व्यक्तियों से ऊपर स्थानित होंगे ।

उपबन्धित है कि ऐसे सभी व्यक्तियों, जो पदोन्नति/स्थाइकरण के लिए विचाराधीन हो, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हकारी सेवा अथवा ऐसी सेवा जो एसे पद, के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में निर्धारित हो (दोनों में से जो भी कम हो) पूरी की हो :

इसके अतिरिक्त उपबन्धित है कि यदि कोई व्यक्ति पूर्ववर्ती परन्तुक में निर्धारित अपेक्षाओं के कारण पदोन्नति/स्थाईकरण, हेतु विचार करन के लिए अयोग्य होता है तो एसे व्यक्ति जो उससे कनिष्ठ हो, को भी ऐसी पदोन्नति/स्थाइकरण के लिए विचार हेतु अयोग्य समझा जायेगा ।

7. सभी शासकीय क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों जो इन सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय, इनमें अन्तलयन से पूव सरकारी कर्मचारी थ, को भी सरकारी कर्मचारियों की भांति सीधी भर्ती में आयु सीमा में छूट होगी । इस प्रकार की छूट सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों तथा स्वायत निकायों के उन कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं होगी जो उक्त निगमों तथा स्वायत निकायों द्वारा बाद में भर्ती किय गए हों और इन सार्वजनिक क्षेत्रों के निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के बाद अन्तिम रूप से उन निगमों/निकायों में अन्तर्गत हो गए हों ।

8. इस सेवा में नियुक्ति, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों, पिछड़े वर्ग के लिए सेवाओं में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार होगी ।

9. विभागीय परीक्षा:—(क) सेवा में प्रत्येक सदस्य को हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1976 के अन्तर्गत निर्धारित परिवीक्षा अवधि के भीतर या इन नियमों के अधिसूचित होने के दो वर्ष के भीतर, जो भी बाद में हो, विभागीय परीक्षा पास करनी होगी अन्यथा सदस्य निम्नलिखित का पात्र नहीं होगा:—

(अ) आगामी देय दक्षतारोध पार करने के लिए ;

(ब) सेवा में स्थायीकरण हेतु; और

(स) अगले उच्च पद पर पदोन्नति के लिए ।

उपबन्धित है कि यदि सदस्य अन्यथा पदोन्नति के लिए उक्त लिखित अवधि के भीतर योग्य हो जाये तो उसे पदोन्नति के लिए विचाराधीन रखा जायेगा और यदि योग्य पाया जाये तो उसे अस्थाई तौर पर पदोन्नत किया जायेगा और इस उपबन्ध के अन्तर्गत उसे विभागीय परीक्षा पास करनी होगी । यदि वह उक्त परीक्षा पास नहीं कर पाता तो उसकी पद अवनति की जायेगी :

इसके अतिरिक्त उपबन्धित है कि यदि कोई अधिकारी इन नियमों के अधिसूचित होने से पूर्व किसी अन्य नियम के अन्तर्गत निर्धारित पूर्ण या आंशिक रूप से विभागीय परीक्षा पास कर चुका हो, उस द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से (यथास्थिति) परीक्षा पास करनी अपेक्षित नहीं होगी।

इसके आगे यह भी उपबन्धित है कि यदि किसी अधिकारी के लिए इन नियमों के अधिसूचित होने से पूर्व कोई विभागीय परीक्षा निर्धारित नहीं की गई हो और वह अधिकारी प्रथम मार्च, 1976 को 45 वर्ष की आयु पार कर चुका हो तो उसे इन नियमों के अन्तर्गत विभागीय परीक्षा पास करनी आवश्यक नहीं होगी।

(ख) ऐसे अधिकारी को उसकी पदोन्नति के सीधे क्रम में किसी उच्च पद पर पदोन्नति की स्थिति में उक्त परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी जिसने कि इससे निचले राजपत्रित पद पर वह परीक्षा पास कर ली हो ।

(ग) सरकार विभागीय परीक्षा नियमों के अनुसार हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों को विशेष परिस्थितियों में इसके औचित्य को लिखित रूप में दर्शाते हुए विभागीय परीक्षा में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से छूट दे सकती है ।

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 14*th* *October*, 1983

No. GAD-A (F) 4-34/83.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Officer-on-Special Duty, Class-I (Gazetted) in the Office of Directorate of Sainik Welfare, Himachal Pradesh as per Annexure-I to this Notification.

2. These rules shall come into force from the date of publication of this notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

ANNEXURE-I

RECRUITMENT & PROMOTION RULES FOR THE POST OF OFFICER-ON-SPECIAL DUTY, CLASS-I (GAZETTED) IN THE OFFICE OF THE DIRECTOR OF SAINIK WELFARE, HIMACHAL PRADESH

1.	Name of the post	Officer-on-Special Duty.
2.	Number of posts	One.
3.	Scale of pay	Rs. 1250-50-1400/60-1700/75-2000.
4.	Classification	Class-I (Gazetted.)
5.	Whether selection post or non-selection post.	Selection.
6.	Age for direct recruits	Not Applicable.
7.	Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.	Not applicable.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
9.	Period of probation, if any	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and for reasons to be reduced in writing.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation/transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.	100% by promotion.
11.	In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotions, deputation/transfer to be made.	"By promotion from amongst:— Zila Sainik Welfare Officer in the pay scale of Rs. 940—1850 with 5 years regular or regular combined with *ad hoc* service as such."
12.	If a DPC exists, what is its composition.	As may be constituted by the Government from time to time.
13.	Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	As required under the law.
14.	Relaxation clause	Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person or post.

Foot Notes.—1. A candidate for appointment to any service or post must be,—

(*a*) a citizen of India, or

(*b*) a subject of Nepal, or

(*c*) a subject of Bhutan, or

(*d*) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(*e*) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to categories (*b*), (*c*), (*d*) and (*e*) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India/State Government.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India/Government of Himachal Pradesh.

2. Upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Tribes candidates and other categories of persons to the extent permissible under the general or special orders of the H. P. Government.

3. Age and experience for direct recruits relaxable at the discretion of the Commission in the case of candidates otherwise well qualified.

4. Provisions of columns 10 and 11 are to be revised by the Government in consultation with the Commission as and when the number of posts under column 2 are increased.

5. Selection for appointment to these posts in the case of direct recruitment, shall be made on the basis of *viva voce* test, if the Commission so considers necessary or expedient by a written test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission or practical test.

6. In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including *ad hoc one*) in the feeder post, all persons senior to him in the respective category shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior persons in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion/confirmation shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the relevant Recruitment and Promotion Rules for the post whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion/confirmation, on account of the requirement prescribed in the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion/confirmation.

7. The employees of all the public sector corporation and autonomous bodies who happened to be Government servant before absorption in public sector corporation/autonomous bodies at the time of initial constitution of such corporations/autonomous bodies, shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession, will not, however, be admissible to such staff of the public sector corporations autonomous bodies who were/are subsequently appointed by such corporations/autonomous bodies and are/were finally absorbed in the service of such corporations/autonomous bodies after the initial constitution of the public sector corporations/autonomous bodies.

8. The appointments to this service shall be subject to orders regarding reservation in the services for Scheduled Castes/Schequled Tribes/Backward Classes issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

9. *Departmental Examination.*

(*a*) Every member of the service shall pass a departmental examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1976 within the probation period or within two years from the notification of these rules whichever is latter falling which he shall not be eligible to:

(*a*) Cross the Efficiency Bar next due,

(*b*) Confirmation in the Service, and

(*c*) Promotion to the next higher post:

Provided that if a member becomes otherwise eligible for promotion, within the period mentioned above, he shall be considered for promotion and if otherwise found fit shall be promoted provisionally subject to his passing the departmental examination. He may be reverted if he fails to pass the same:

Provided further that an officer who has qualified the departmental examination in whole or in part prescribed under any other rules before the notification of these rules shall not be required to qualify the whole or in part of the examination as the case may be:

Provided further that an officer for whom no departmental examination was prescribed prior to the notification of these rules and who has attained the age of 45 years on the Ist March, 1976 shall not be required to qualify the departmental examination prescribed under these rules.

(*b*) An Officer on promotion to a higher post in his direct line of promotion shall not be required to pass the aforesaid examination if he has already passed the same in the lower gazetted post.

(*c*) The Govt. may in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, grant in exceptional circumstances and for reasons to be reduced in writing, exemption in accordance with the Departmental Examination Rules to any class or category of persons om the departmental examination in whole or in part.

By order,
M. K. KAW,
Commissioner-cum-*Secretary*.

(2) उक्त अधिसूचना की सारणी 4 में, स्तम्भ 1 में मद् 20 त्रिपुरा के सामने, स्तम्भ 2 के अधीन "11 फावड़ा और बलचा" प्रविष्टि हटा दी जाएगी और विद्यमान प्रविष्टियां 12 और 13 को क्रमश: 11 और 12 के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा;

उपर्युक्त राजनैतिक दल को प्रदत्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:—

(I) दल बिना देरी किए निर्वाचन आयोग को अपने नाम, मुख्यालय, पदाधिकारियों के पतों, और राजनैतिक सिद्धान्तों, नीतियों, लक्ष्यों और उद्देश्यों में किसी प्रकार के परिवर्तन तथा किसी अन्य महत्वपूर्ण मामले में किसी प्रकार के परिवर्तन के बारे में संसूचित करेगा ;

(II) दल राजनैतिक दल के विधान में किसी प्रकार का संशोधन करता है तो उसकी सूचना तुरन्त दस्तावजों जैसे संशोधनों पर विचारार्थ बैठक की सूचना, बठक के लिए कार्यसूची, उस बठक का कार्यवृत्त जिसमें संशोधन किए गए, आदि के साथ तत्काल निर्वाचन आयोग को सूचित करेगा;

(III) दल सभी अभिलेखों जैसे कार्यवृत्त, पुस्तक, लेखा बहियां, सदस्यता रजिस्टरों, रसीद बहियों आदि का समुचित रूप से रख-रखाव करेगा ;

(IV) निर्वाचन आयोग के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उक्त अभिलेखों का किसी भी सम निरीक्षण किया जा सकेगा; और

(V) निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई मान्यता का समय-समय पर पुनर्विलोकन किया जा सके ।

[56/82-12],

आदेश से,
के0 गणेशन,
सचिव ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ASHOK ROAD,
NEW DELHI-1.

Dated— 27th *September*, 1983 / 5 *Asvina*, 1905 (*Saka*)

NOTIFICATION

S.O.—Whereas the Election Commission, in pursuance of the provisions of paragraph 6 read with paragraph 7 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, is statisfied that as a result of its poll performance at general election to the Legislative Assembly of Tripura State held in January, 1983, the Revolutionary Socialist Party is entitled for recognition as a State Party in the State of Tripura in terms of para 6 of the said Order;

And whereas the Commission has decided to recognise the Revolutionary Socialist Party in Tripura State as a State party;

Now therefore, in pursuance of clauses (b) and (d) of sub-paragraph (1) and sub-paragraph (2) of paragraph 17 of the said symboles Order, the Election Commission hereby makes the following amendments in its notification No. 56/82, dated the 8th April, 1982, published as O. N. 29 (E), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 (iii), dated the 12th April, 1982 as amended from time to time, namely :—

1. In Table 2 of the said notification, against the State of Tripura referred to under column 1, for the existing entry 'Tripura Upajati Juba Samiti——Two Leaves' under columns 2 and 3, the following entries shall be substituted:

"1. Revolutionary Socialist party———spade and stoker

2. Tripura Upajati Juba Samiti———Two Leaves"

2. In Table 4 of the said notification, against item 20. Tripura in colum 1 the entry "11. Spade and Stoker" under column 2 shall be deleted and the existing entries 12 and 13 shall be renumbered as 11 and 12, respectively;

The recognition granted to the above mentioned political party is subject to the following conditions :—

(*i*) The party shall communicate to the Commission without delay and change in its name, head office, office bearers address and political principles, policies, aims and objectives and any change in any other material matters;

(*ii*) The party shall intimate the Commission immediately whenever any amendments are issued to Party constitution along with the relevant documents like the notice for the meeting to consider amendments, aganda for the meeting, minutes of the meeting, where the amendments have been carried etc.;

(*iii*) The party shall maintain all the records like minute books, account books, membership registers, receipt books etc, properly;

(*iv*) The said records shall be open for inspection at any time by the authorised representative(s) of the Commission ; and

(*v*) The recognition granted shall be reveiwed by the Commission from time to time.

[No. 56/82-XII]

By order,
K. GANESAN,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली,
27 सितम्बर, 1983

तारीख ———————

आश्विन 5, 1905 (शक)

अधिसूचना

का० आ०—रिवोल्यूश्नरी सोशलिस्ट पार्टी केरल और पश्चिमी बंगाल राज्यों में प्रतीक "फावड़ा और बेलचा" के साथ जो कि निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन इन राज्यों में उस के लिए आरक्षित है, एक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है;

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।